

standing just like your colleague; he is not in the dock.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Sir, this matter came up mainly because of the technical position and the legality involved in the case. But, as I have already stated, we are interested in settling the matter even after the court's judgment. The hon. Member mentioned a loss of 5% or so in grains. I express my difficulty in this regard. There may be losses of grains here and there. It may not be more than 2%—mostly it may come to 1½%. In this operation that may be the position anywhere in the world. I may say that there may be some weakness or some failure here and there. But, as far as the general operations of the Food Corporation are concerned, the impression should not go round that there is something wrong with the Corporation. That impression of the hon. Member is not correct. I would request the hon. Member not to make such remarks which are not justified by facts.

12.25 HRS.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

HUNDRED AND FORTY-FIRST, HUNDRED AND FIFTIETH, HUNDRED AND FIFTY-THIRD AND HUNDRED AND SIXTY-SIXTH REPORTS.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, I beg to present the following Reports of the Public Accounts Committee:—

- (1) Hundred and forty-first Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Hundred and Nineteenth Report on Chapter III of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1971-72, Union Government (Civil), Revenue Receipts Volume II, Direct Taxes relating to Income-tax.
- (2) Hundred and fiftieth Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Fifty-first Report on Chapter IV of the Audit Report (Civil), Revenue

Receipts, 1970 and Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1969-70, Central Government (Civil), Revenue Receipts relating to Income-Tax.

- (3) Hundred and fifty-third Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Hundred and twenty-eighth Report on Chapter II of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1971 to Union Government (Civil), Revenue Receipts Volume II Direct Taxes relating to Corporation Tax.
- (4) Hundred and sixty-sixth Report on Ban on Trade with Portugal and B.O.A.C. Gold Smuggling Case.

12.27 HRS.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

SIXTY-SIXTH REPORT AND MINUTES

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA (Dausa): I beg to present the following Report and Minutes of the Committee on Public Undertakings:

- (i) Sixty-sixth Report of the National Seeds Corporation Limited.
- (ii) Minutes of the sittings of the Committee relating to the above Report.

12.27 HRS.

MATTERS UNDER RULE 377

- (i) Political and constitutional issues raised by Shri Mange Ram's resignation from the Executive Council of Delhi Metropolitan Council.

श्री मधु लिंगये (बाँका) : अध्यक्ष महोदय, एक अरसे से मैं यह प्रश्न उठाना चाहता था। दिल्ली में एग्जीक्यूटिव कौंसिल के एक सदस्य श्री मंगे राम ने जो इस्तीफा दिया है अगर

[श्री मधु सिन्घे]

यह कांग्रेस पक्ष का अन्दरूनी मामला होता तो उस को मैं यहाँ नहीं उठाता। लेकिन उन्होंने अपने वक्तव्यों में कई संवैधानिक और राजनीतिक सवाल उठाए हैं जिस के बारे में मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी अपनी सफाई दें। दिल्ली के प्रशासन की अन्तिम जिम्मेदारी केन्द्र की और इस संसद की है। इस के बारे में दो राय नहीं हो सकती है। हम लोगों ने 1966 में एक डेलही ऐडमिनिस्ट्रेशन बिल पारित किया। इस बिल का उद्देश्य था कि दिल्ली के निवासियों को लोकनायिक और स्वायत्त प्रशासन के अधिकार मिलें। इस में एक प्रशासक नियुक्त करने की बात थी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। प्रशासक के क्या अधिकार होंगे, एग्जीक्यूटिव कौंसिल के क्या अधिकार होंगे, इस का स्पष्ट विश्लेषण और विवरण पार्ट 3 में दिया गया है। मैं सब तो नहीं पढ़ना चाहूँगा। लेकिन आप से मैं इतना कहना चाहूँगा कि राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन के ऊपर कार्यवाही करने का मेट्रोपोलिटन कौंसिल को और कार्य-समिति को अधिकार है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए, ऐडमिनिस्ट्रेटर के लिए कुछ अधिकार सुरक्षित किए गए हैं जिन के ऊपर वह अपने विवेक, डिस्क्रिशन में काम करते हैं।

यह सेक्शन 27 आगे देख लीजिए।

"There shall be an Executive Council consisting of not more than four members, one of whom shall be designated as the Chief Executive Councillor and others as the Executive Councillors to assist and advise the Administrator in the exercise of his functions in relation to matters enumerated in the State List or Concurrent List except in so far as he is required by or under this Act to exercise his functions or any of them in his discretion or by under any law to exercise any judicial or quasi-judicial functions."

अध्यक्ष महोदय, इन के हाथ में दो विषय रखे गए हैं। एक है कानून और सुव्यवस्था, ला एंड आर्डर। यह सब-सेक्शन 3 में दिया गया है और दूसरा इन के अख्तियार में विषय आता है नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेट्री के बारे में। इस के अलावा बाकी सारे अधिकार एग्जीक्यूटिव कौंसिल को दिए गए हैं। अगर ऐडमिनिस्ट्रेटर में और एग्जीक्यूटिव कौंसिल में कोई मतभेद होता है तो मसला राष्ट्रपति के पास जाता है, यानी केन्द्रीय सरकार के पास जाता है। यह इस ऐक्ट की योजना है।

अब हुआ क्या है? मागे राम जी ने अपने बयान में चार बात कही है। मैं पढ़ कर बता देता हूँ ताकि समय ज्यादा न लगे। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मतभेद के निम्न चार विषय बताए हैं।

1. Award of a contract to a private party for the supply of liquor against the advice of Shri Mangeram.

2. Interference by the Lt. Governor in the matter of sanctioning of a cinema house near a mosque in the Shadara area against the advice of Shri Mangeram and in the face of citizens' protest.

3. The Delhi Small-scale Industrial Corporation, instead of carrying out its duties has engaged in extravagance, waste and squander mania. A sum of Rs. 35 lakhs was passed on to this Corporation in total disregard of the conditions laid down by the Executive Councillor and this was done despite the fact that a sum of Rs. 2 crores earmarked for an employment scheme had been diverted to purchase steel in which funds have been locked and a loss is likely to be sustained.

जरा चन्द्रजीत जी भी इस को सुन लें कि जो एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम के लिए खर्चा दिया गया था वह स्टील पर खर्च करने में इस कारपोरेशन ने खर्च दिया

है जिसके ऊपर मांगे राम ने आपत्ति की है।

4. A most scandalous interference by the Lt. Governor has been in regard to the recovery of the sales-tax charged by the silk traders to the customers. This amount of sales-tax arrears exceeds Rs. 5 crores.

मांगे राम जी चाहते थे कि इस को बसूल किया जाय क्यों कि जब कस्टमर से लिया है और कानून के अनुसार है तो इस का डिफाल्ट इन की राय में अपराध था। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर बोच में पड़े और उन्होंने सिल्क के इन व्यापारियों को माफ किया। यह उन्होंने नहीं कहा है लेकिन मुझे जानकारी है कि सिल्क ट्रेडर्स ने यह कहा है कि सत्ताधारी दल को 50 लाख रुपये डोनेशन दे देंगे। मांगे राम जी ने इस के ऊपर भी आपत्ति की।

एक और भी विषय के ऊपर मांगे राम जी ने आपत्ति की कि दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन में जो डिफेक्शन करवाए गए इस के बारे में केवल विरोध पक्ष के लोग ही नहीं, मांगे राम जी जो कांग्रेस पार्टी के और कार्य-समिति के सदस्य थे उन्होंने भी कहा कि डिफेक्शन के आधार पर काम करना ठीक नहीं है। पहले डिफेक्शन करवाया, बाद में म्युनिसिपल कारपोरेशन को सुपरसीड करवाया—इस का भी उन्होंने विरोध किया।

इस लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि आप गृह मंत्री जी को आदेश दें कि वे यहाँ पर बक्तव्य दें। जहाँ तक स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन-वाला मामला है या सिल्कबालों का मामला है, यह गृह मंत्री जी के पास भी गया था और उन्होंने मांगे राम जी का समर्थन किया था, फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मनमाने ढंग से काम

किया, स्वायत्तता और लोकतन्त्र दोनों दिल्ली प्रशासन में मखौल बन गया है। हम लोगों ने कानून पास किया था, इस लिये हम लोग चिन्तित हैं, वैसे ही उन को सीमित अधिकार मिले हैं, लेकिन उस के ऊपर भी इस तरह से अतिक्रमण किया जायगा तो यह सदन इस को बरदाश्त नहीं करेगा।

मैंने जो चार-पाच उदाहरण दिये हैं, इन में ला एण्ड आर्डर का उदाहरण नहीं है, नई दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी का उदाहरण नहीं है, ये सारे विषय कार्य-समिति के अधिकार क्षेत्र में थे, लेकिन जब लेफ्टिनेंट गवर्नर इन पर आक्रमण करता है तो आप लोग इस को कैसे बरदाश्त करते हैं। इस लिये मैं मांग कर रहा हूँ कि इस मामले की पूरी जांच हो और गृह मंत्री महोदय इस पर बक्तव्य दें, दरमियानी अर्स में इस लेफ्टिनेंट गवर्नर को बरखास्त कर दिया जाय।

(11) Shortage of drinking water in Madras and Madurai cities.

SHRI R. V. SWAMINATHAN (Madurai): Sir, I want to raise a very important matter regarding the extraordinary situation which prevails in the city of Madras and Madurai on account of the acute shortage of drinking water. Sir, this has also been highlighted in yesterday's T.V. and All India Radio programmes. I may say as far as the situation of water supply in the city of Madras is concerned it is a complete breakdown and the problem is beyond the reach of the local Government and the Corporation authorities. They are not able to cope with the situation. Many people do not get water for three to four days together. The situation should be tackled by the Government of India and the help of the Army may be sought for this by deploying Army rigs. The Government of India should save Tamil Nadu. A very heavy power-cut to the tune of 75 per cent has been imposed. I appeal to the Government to tackle this problem urgently and